प्रारूप–2.1

भाग–1

परियोजना का नामः– खतेड़ा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0)

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	–	खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 3.500 किमी0 लम्बाई में किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से मुनस्यारी विकास खण्ड के दूरस्थ गावों को मोटर मार्ग की सुविधा प्राप्त होगी।
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	–	1:50000 का मानचित्र संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	–	₹28.61 लाख।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	–	N/A
	ड) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	–	मार्ग के निर्माण के समय स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में समय–समय पर अन्य कार्यों एवं विकास के अवसर बढेगे। मार्ग पूर्ण होने के उपरान्त ग्रामीण जनसंख्या को आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं कृषि से सम्बन्धित लाभ मिलेगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः		
	(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	–	–
	(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	–	–
	(iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	2.450 हे0
	(iv) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	0.438 हे0
	कुल योग (वन भूमि)	–	2.888 हे0
	(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि	–	–
	कुल योग (नाप भूमि)	–	–
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है		
	क) परिवारों की संख्या	–	नहीं।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	–	नहीं।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	–	नहीं।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	–	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	–	हॉ।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	–	

दिनांक – / / 2019

स्थान – डीडीहाट

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०नि०लो०नि० विभाग
डीडीहाट

प्रारुप–3

भाग–2 (संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

7. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति – खतेडा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0)

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र – उत्तराखण्ड/राज्य सरकार।

(ii) जिला – पिथौरागढ़।

(iii) जिला वन प्रभाग – पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र – 2.888 हेक्टेयर।

8. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति – सिविल वन भूमि

9. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: –

(i) वन का प्रकार – राज्य भूमि।

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व –

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना – संलग्न है।

(iii) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा – संलग्न है.

10. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी – भू-क्षरण की सम्भावना नहीं है.

11. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी – 1 Km

12. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता : – संलग्न है.

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) – नहीं।

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – नहीं।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि. मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – नहीं।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे – नहीं।

13 क्या क्षेत्र में कोई सरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) – नहीं।

14. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें –

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। – हाँ। अपरिहार्य वनभूमि है.

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। – संलग्न है.

15. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं) – नहीं।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही –

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं) –

16. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :** –

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। – संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। – संलग्न है।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। – संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। – हॉ।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : – संलग्न है।

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)। – हॉ।

17. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)। – हॉ।

18. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारिशें – संलग्न है। प्रस्तावक संस्तुति सहित अग्रसारित। प्रस्तावक विभाग द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

स्थान: ~~डीडीहाट~~ पिथौरागढ़

तारीख: 2-7-2020

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
डीडीहाट

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि०
डीडीहाट

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

प्रारुप–4
भाग–3

19. या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय। – हॉ।

20. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं। हॉ।

21. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें आख्या संलग्न है।

स्थानः

तारीखः

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

प्रतिवेदन

परियोजना का नामः– खतेड़ा से सीणी मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.500 किमी0)

जनपद पिथौरागढ़ तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत खतेडा से सीणी मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति शा0सं0 2377/।।।(2)/16–42(एम.एल.ए.)/2015 दिनांक 31.08.2016 द्वारा ₹28.61 लाख की प्राप्त हुई है।

मार्ग का समरेखन चैनेज सं0 0.000 से 3.5000 किमी0 तक पूर्ण समरेखन में राज्य भूमि प्रभावित होती है। सम्पूर्ण भूमि का कुल क्षेत्रफल 2.450 हे0 है। प्रस्तावित मार्ग का भूगर्भीय निरीक्षण भी कर लिया गया है तथा दिनांक 28/11/2018 को याचक विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न है।

मार्ग निर्माण हेतु 3.500 किमी0 लम्बाई एवं 7.00 मी0 चौडाई हेतु भूमि मांगी जा रही है। मोटर मार्ग निर्माण तथा मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही भूमि का विवरण निम्नवत् है।

(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	–	–
(ii) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही वन पंचायत भूमि	–	–
(iii) रोड निर्माण हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	2.450 हे0
(iv) मक डिस्पोजल हेतु ली जा रही राज्य भूमि	–	0.438 हे0
कुल योग (वन भूमि)	–	**2.888 हे0**
(i) रोड निर्माण हेतु ली जा रही नाप भूमि	–	–
कुल योग (नाप भूमि)	–	–

अतः दूरदराज के लोगों को मोटर मार्ग से जोडने के लिए परियोजना हेतु 2.888 हे0 वनभूमि जनहित में लो0नि0वि0 डीडीहाट को हस्तान्तरण होना आवश्यक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
डीडीहाट

सहायक अभियन्ता,
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
डीडीहाट

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0लो0नि0वि0
डीडीहाट